	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 11, शुक्रवार, शाके 1944-अप्रेल 01, 2022 *Chaitra 11, Friday , Saka 1944- April 01, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 24, 2022

संख्या अधि0 DIPR/WP(C)2003-2022/1157 :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (CIVIL) No, 13 of 2003 with WP (CIVIL) No, 197 of 2004 , एवं WP (CIVIL) No, 302 of 2012 में दिनांक 13.05.2015, 18.03.2016 एवं 28.04.2016 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालना में सरकारी विज्ञापनों के सामग्री विनियमन हेतु राज्य सरकार को तटस्थता और निष्पक्षता के साथ एक निर्विवाद ऐसे तीन सदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति का गठन करना है जिसमें ऐसे तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति हों जिन्होंने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में सरकारी विज्ञापनों की सामग्री विनियमन कार्य के निमित त्रिसदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति के कार्य/दायित्व, कार्यालय, मानदेय आदि को विनियमित करने के लिए सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैः-

1-समिति के चयन के लिए सर्च कमेटी का गठन

त्रिसदस्यीय समिति के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से निम्नानुसार सर्च कमेटी का गठन किया जायेगाः-

(i) अध्यक्ष-मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

(ii) सदस्य-प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार।

(iii) सदस्य-प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार।

(iv) सदस्य सचिव-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।

त्रिसदस्यीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तावित नाम के पैनल में से की जाएगी।

2-तीन सदस्यीय समिति की संरचना

(i) अध्यक्षः-राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/राज्य सूचना आयोग /राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष/सदस्य।

(ii) सदस्यः-मीडिया/विज्ञापन के क्षेत्र की स्वनियामक एजेंसी यथा-भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (Advertising standard council of India)/न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA)/ब्रॉडकास्टिंग कंटेट कम्प्लेंट कॉउंसिल (BCCC) इत्यादि के पूर्व अध्यक्ष-सदस्य अथवा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त निदेशक/आयुक्त।

(iii) सदस्यः-विज्ञापन अथवा प्रिंट मीडिया उद्योग के प्रतिष्ठित पेशेवर।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी उपर्युक्त समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगे।

3-त्रिसदस्यीय समिति का क्षेत्राधिकार

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त विज्ञापनों से संबंधित प्रकरण जिसके अंतर्गतः-

(i) राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभाग।

(ii) राज्य के स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्थान/परिषद/निगम।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी संस्थान एवं अन्य संस्थान शामिल होंगे।

परंतु जिन संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान नहीं की जाती उनके विज्ञापन इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगें।

4-त्रिसदस्यीय समिति के कार्य और शक्तियां

(i) समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के उल्लंघन के संबंध में जन-सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संज्ञान लेगी अथवा किसी मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकेगी और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग से लिखित रूप में मंतव्य प्राप्त कर समिति अपनी सिफारिश सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन/प्रशासकीय विभाग को भेजेगी।

(ii) समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचनाओं और जानकारियों को गोपनीय बनाए रखेगी एवं ऎसे किसी व्यक्ति अथवा पक्ष को कोई सूचना एवं जानकारी नहीं देगी जिसका इस मामले से संबंध न हो। केवल संबंधित पक्ष की सहमति पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

(iii) समिति उसके द्वारा प्रत्येक माह निष्पादित किये गये कार्यों/प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सचिव सूचना एवं जनसंपर्क राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसी प्रकार समिति एक समीक्षात्मक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।

(iv) समिति के द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जो प्रकिया ऋजु एवं उचित हो वह प्रक्रिया समिति स्वयं निर्धारित करेंगी।

5-कार्यकाल

समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 02 वर्ष होगा। जिसे राज्य सरकार के द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दो बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

6-निर्णय

समिति के निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर मान्य होंगे। किसी मामले में तीनों सदस्यों के एकमत न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे।

7-समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का त्यागपत्र एवं निष्कासन

(i) समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा अपने त्यागपत्र की सूचना लिखित में राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) राज्य सरकार समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटा सकेगी, यदि वहः-

(अ) दिवालिया घोषित हो गया हो; अथवा

(ब) किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जो अनैतिक कृत्य से संबंधित हो; अथवा

(स) ऎसे किसी वित्तीय या अन्य हित जो सदस्य के रूप में उसके कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो; अथवा

(द) पद के दुरूपयोग; अथवा

(च) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन में अक्षम हो गया हो।

8-मानदेय

(i) राज्य सरकार द्वारा समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रति बैठक हेतु रुपये 10,000/- की एक निश्चित धनराशि का मानदेय दिया जायेगा।

(ii) समिति की माह में न्यूनतम एक एवं अधिकतम दो बैठक आयोजित होंगी। बैठक की तिथि का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को राज्य के भीतर बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपने निवास स्थान से कार्यालय आने-जाने हेतु प्रथम श्रेणी (लेवल 14 के समतुल्य) का वाहन सुविधा/वास्तविकता के आधार पर किराया की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

9-बजट

राज्य सरकार द्वारा समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा।

10- अवस्थिति

(i) समिति का कार्यालय एवं बैठक का स्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर होगा। संबंधित विभाग द्वारा समिति के कार्यालय हेतु दो कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) समिति के कार्यालय संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु दो कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक विभाग/आउटसोर्स के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएगें।

संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।